अनुदान संख्या 81 - पेय जल पूर्ति विभाग
GRANT No. 81–DEPARTMENT OF DRINKING WATER SUPPLY

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	4751,42,00	4761,53,00	4737,60,67	–23,92,33
पूरक	Supplementary	10,11,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1,16,24

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, कुल बचतें (2392.33 लाख रु.) मार्च, 2006 में प्राप्त किए गए 1011.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गई और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का आधा प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the grant, the overall savings (Rs.2392.33 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.1011.00 lakhs obtained in March, 2006 and constituted half percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''2215'' जल पूर्ति तथा सफाई	Major Head "2215" Water Supply and Sanitation				
मू.	O.	201497.00	206534.62	204293.28	–2241.34
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	5036.62			
मुख्य शीर्ष ''2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रा	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	47500.00	. .	. .	. .
पू.	S.	100.00			
पु.	R.	–47600.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	225975.00			
पू.	S.	900.00	269357.14	269323.10	–34.04
पु.	R.	42482.14			

(I) 47723.00 लाख रु. का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, जिसमें से 47600.00 लाख रु. (100.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित) अकेले मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान'' के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs. 47723.00 lakhs remained wholly unutilised under five heads; of these Rs.47600.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.100.00 lakhs) alone accounted for under Major Head "2552"- "Other Expenditure - Provision for projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim" - due to re-appropriation of funds to the functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष ''2215'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "2215" - savings occurred under the following heads:-

(का) ''जल पूर्ति - ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम'' -

(A) "Water Supply - Rural Water supply Programme" -

(क) ''राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल पूर्ति मिशन'' - 517.08 लाख रु. की बचत (585.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परामर्शदात्री सेवाएं शुरू किए जाने के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने और कार्यालय उपस्करों की खरीद संबंधी प्रस्तावों के मूर्तरूप न लेने के कारण हुई।

(a) "Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission" - saving of Rs.517.08 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.585.00 lakhs) was due to receipt of less proposals for undertaking consultancy services and non-materialisation of proposals for purchase of office equipments.

(ख) ''अनुवीक्षण और मूल्यांकन'' - 270.00 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मूल्यांकन अध्ययन करने संबंधी प्रस्ताव उपयुक्त संख्या में प्राप्त न होने के कारण हुई।

(b) "Monitoring and Evaluation" - saving of Rs.270.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate number of proposals for conducting Evaluation Studies.

(खा) ''जल मल और सफाई - सफाई सेवाएं'' -

(क) ''मानव संसाधन विकास'' - 180.55 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ विसंगतियों की वजह से प्रस्तावों को देर से स्वीकृति प्रदान किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''सूचना, शिक्षा और संचार'' - 125.51 लाख रु. की बचत (5000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सूचना शिक्षा और संचार संबंधी प्रस्तावों के कम प्राप्त होने के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 90.70 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 91 प्रतिशत थी।

2.(1) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (41952.40 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - जल पूर्ति - ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम - त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम'' के अंतर्गत 900.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 41927.83 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2215'' -

(क) ''जल पूर्ति - ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम - राज्य बोर्डों, प्राधिकरणों आदि को अनुदान'' - 1153.59 लाख रु. का अधिक व्यय (135625.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) ''जल मल और सफाई - सफाई सेवाएं - जिला जल और सफाई समितियों, मिशनों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों आदि को अनुदान'' - 2932.28 लाख रु. का अधिक व्यय (56600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(B) "Sewerage and Sanitation - Sanitation Services" -

(a) "Human Resource Development" - saving of Rs.180.55 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to late sanctioning of proposals owing to some discrepancies.

(b) "Information, Education and Communication" - saving of Rs.125.51 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5000.00 lakhs) was due to less receipt of proposals for Information Education and Communication.

(III) Under one head saving of Rs.90.70 lakhs occurred constituting 91 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.41952.40 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.900.00 lakhs under Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes-Water Supply – Rural Water Supply Programme-Accelerated Rural Water Supply Programme". Actual excess, however, was Rs.41927.83 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2215" -

(a) "Water Supply - Rural Water Supply Programme – Grants to State Boards, Authorities etc." - excess of Rs.1153.59 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.135625.00 lakhs);

(b) "Sewarage and Sanitation - Sanitation Services - Grants to District Water and Sanitation Committees, Missions, District Rural Development Agencies etc." - excess of Rs.2932.28 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.56600.00 lakhs); and

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - जल पूर्ति - ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम - प्रबंधन सूचना प्रणाली और कम्प्यूटरीकरण" - 469.56 लाख रु. का अधिक व्यय (900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और साथ ही कार्यान्वयन अभिकरणों से अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 50.71 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 34 प्रतिशत था।

(B) Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Water Supply - Rural Water Supply Programme - Management Information System and Computerisation" - excess of Rs.469.56 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.900.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to the functional heads for utilisation on Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and also on account of receipt of more proposals from implementing agencies.

(III) Under one head excess of Rs.50.71 lakhs occurred constituting 34 percent of the sanctioned provision.